रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2011/फाल्गुन 13, 1932

No. 412] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2011/PHALGUNA 13, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2011

का.आ. 479(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 जून, 2011 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 5, धारा 6, धारा 20, धारा 29, धारा 30 और धारा 31 प्रवृत होंगी।

[फा. सं. 5/4/2003-आईजीसी/सीएस]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2011

S.O. 479(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints the 1st day of June, 2011 as the date on which Sections 5, 6, 20, 29, 30 and Section 31 of the said Act shall come into force.

[F. No. 5/4/2003-IGC/CS]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2011

का.आ. 480(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 20 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग से परामर्श करके थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, आस्तियों के मूल्य और व्यापारावृत्त के मूल्य में, उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजनों के लिए पचास प्रतिशत तक वृद्धि करती है।

[फा. सं. 5/4/2003-आईजीसी/सीएस]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2011

S.O. 480(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 20 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government in consultation with the Competition Commission of India, hereby enhance, on the basis of the wholesale price index, the value of assets and the value of turnover, by fifty per cent for the purposes of Section 5 of the said Act.

[F. No. 5/4/2003-IGC/CS]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2011

का.आ. 481(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, अन्य उद्यमों में मताधिकार का 50 प्रतिशत से कम का प्रयोग करने वाले 'समूह' को उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों से पाँच वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है।

[फा. सं. 5/4/2003-आईजीसी/सीएस]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2011

S.O. 481(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, in public interest, hereby exempts the 'Group' exercising less than fifty per cent of voting rights in other enterprise from the provisions of Section 5 of the said Act for a period of five years.

[F. No. 5/4/2003-IGC/CS]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2011

का.आ. 482(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, ऐसे किसी उद्यम को जिसके नियंत्रण, शेयर, मताधिकार या आस्तियाँ अर्जित की जा रही हैं उसकी आस्तियों का मूल्य 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है या व्यापारावृत्त 750 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों से पाँच वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है।

[फा. सं. 5/4/2003-आईजीसी/सीएस]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2011

S.O. 482(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, in public interest, hereby exempts an enterprise, whose control, shares, voting rights or assets are being acquired has assets of the value of not more than ₹ 250 crores or turnover of not more than ₹ 750 crores from the provisions of Section 5 of the said Act for a period of five years.

[F. No. 5/4/2003-IGC/CS]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.